

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या  
12/63/2018

प्रवेश तिथि  
20-03-2018

निर्णय दिनांक  
15-01-2019

01-रामकरण पुत्र मांगेलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बबेड़ी, तहसील बानसूर जिला अलवर राज।  
अपीलान्ट

बनाम

01-तहसीलदार बानसूर, जिला अलवर

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार बानसूर  
दिनांक 22.01.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू0  
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 533/2018

उपस्थित:-

01-श्री भूपरिंह पोसवाल

-वकील अपीलान्ट



-:निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 22.01.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम बबेड़ी की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 572 कुल रकबा 2.54 है0 में से 0.90 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पॉ0 को जयें सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम बबेड़ी की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 572 कुल रकबा 2.54 है0 में से 0.90 है0 पर कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 27.12.2017 को पटवारी द्वारा अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह की सजा व लगान से दण्डित किया। अपीलान्ट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलान्ट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 22.01.2018 के विरुद्ध दिनांक 20.03.2018 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का परीक्षण किया गया। जिससे जाहिर होता है कि तहसीलदार बानसूर का निर्णय छपे-छपाये साईक्लोस्टाईल प्रोफॉर्मा में जारी किया गया है। जिससे यह प्रतीत होता है कि तहसीलदार बानसूर द्वारा आदेश जारी करते समय विधिक प्रकिया नहीं अपनाई गई है तथा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अतः अपील अपीलान्ट तहसीलदार बानसूर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलार्थी का सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 15-01-2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अपीलान्ट)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राजस्थान)